

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

\*\*\*\*\*

क्रमांक: प. 3(4)नविवि / आ / 2021

जयपुर, दिनांक: 26 OCT 2021

आदेश

“ प्रशासन शहरों के संग अभेयन-2021 ” के सुचारू संचालन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए नगर नियोजन सेवा के अधिकारी श्री सुनील चौहान, उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास बाड़मेर स्वयं के कार्य के साथ नगर विकास न्यास, जैसलमेर का कार्य अग्रिम आदेशों तक सम्पादित करेंगे।


यह सक्षम रूप से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(नवनीत कुमार)  
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, बाड़मेर।
6. सचिव, नगर विकास न्यास, जैसलमेर।
7. संबंधित अधिकारी।

  
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय